उत्तराखण्ड शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या 260/XXIII/2017/04(01)2017

देहरादून दिनांकः 19 मई, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलित एवं उपान्तरित आदेश, 2002 की धारा 40 सपठित धारा 21 उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्याः1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में विद्यमान नियमों/आदेशों को अधिक्रमित करके उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है :–

1. **मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण :–**

जिलेवार दुकानों के व्यवास्थापन हेतु निम्न प्रकार राजस्व को निर्धारित किया जाता है :–

क0सं0	जिले का नाम	निर्धारित राजस्व (करोड़ रूपये में)
1	नैनीताल	219.00
2	उधमसिंहनगर	138.00
3	अल्मोड़ा	79.00
4	बागेश्वर	28.00
5	चम्पावत	41.00
6	पिथौरागढ़	48.00
7	हरिद्वार	284.00
8	देहरादून	422.00
9	टिहरी	56.00
10	पौड़ी	72.00
11	उत्तरकाशी	27.00
12	रूद्रप्रयाग	27.00
13	चमोली	43.00

उपरोक्त तालिका में वर्णित राजस्व सम्पूर्ण जिलों हेतु दुकानों के व्यवस्थापन का राजस्व होगा, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की सहमति से दुकानवार राजस्व का निर्धारण कर आबकारी आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित दुकानों के व्यवस्थापन राजस्व में ही जिलों में नई दुकानों का सृजन भी कर सकता है।

2. **मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–**

वर्ष 2017–18 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के क्रमशः 8 प्रतिशत के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रूपये 25.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में रू0 25.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2017 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी।

3. **मदिरा दुकानों की न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :–**

उपरोक्त नियम–1 के अन्तर्गत दुकानवार निर्धारित कुल राजस्व में से नियम–2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित की जायेगी। निकासी हेतु वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

4 **मदिरा के अतिरिक्त उठान पर देय शुल्क :–**

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी राशि से अधिक मदिरा के उठान पर पूर्ण प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) देय होगी।

5. **देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः–**

(एक) दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे। लाटरी द्वारा आवंटन की प्रकिया विगत वर्षों की भांति अथवा ई–लाटरी द्वारा जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ विदेशी मदिरा दुकान हेतु रू0 25000/एवं देशी मदिरा दुकान हेतु रू0 22,000/– की फीस उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कौपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन–पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी।

दुकान जिस जिले के अन्तर्गत आती हो, उसी जिले के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, उसे लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दुकान आवंटित की जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। पूरे राज्य मे एक आवेदक को एक से अधिक देशी/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकान आवंटित नहीं की जायेंगी। आवेदक जिलें की सर्वाधिक राजस्व वाली देशी/विदेशी मदिरा की दुकान के अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जमा कर जिलें की किसी भी दुकान पर आवेदन कर सकता है। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट का विवरण निम्नवत होगाः–

(एक) देशी मदिरा/विदेशी मदिरा– दुकान के राजस्व का 2 (दो) प्रतिशत।

(दो) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है, तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये राज्य के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जायेंगे। यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2017–18 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है, तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात दैनिक आधार पर ही चलायी जायेगी।

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है, तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो, तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर ऑफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व ऑफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

6. **प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन व व्यवस्थापनः–**

प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ मसूरी व रूद्रपुर में Mild Drink की उपलब्धता हेतु उक्त स्थानों में एक–एक दुकानों का सृजन किया जा चुका है। आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से इसी व्यवस्था के तहत कोई भी जिला बीयर की नई दुकानें खोल सकते हैं। प्रदेश मे बियर की समस्त दुकानों का लाटरी पद्धति से व्यवस्थापन किया जायेगा। प्रदेश में बियर की समस्त दुकानों पर बीयर के अतिरिक्त वाईन तथा आर0टी0डी0 की बिक्री सीलड बोतलों में अनुमन्य होगी। प्रदेश में बियर की समस्त दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क रू0 2.00 लाख प्रति दुकान नियत किया जाता है।

पात्रताः– आवेदन की पात्रता की शर्तें, दुकान का व्यवस्थापन/हैसियत प्रमाण पत्र व आवेदन शुल्क का निर्धारण देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समान रहेगा।

7. **प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्रीः–**

प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा की रू0 400 प्रति बोतल ई0डी0पी0 से अधिक ई0डी0पी0 की बोतलों/समुद्रपारीय आयतित बीयर/समुद्रपारीय आयातित वाईन एवं भारत मे बनी वाईन की बिक्री करने की अनुमति दी जायेगी तथा इनका अनुज्ञापन शुल्क रू0 2.00 लाख वर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगा। मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर को निम्न एम0जी0डी0 दर पर एफ0एल0–2 से मदिरा का उठान करना होगा, मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में अधिकतम 3 दुकान तक खोलने पर विचार किया जायेगाः–

क्र०सं०	एक्स आसवनी का मूल्य	एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल
1	400 से अधिक	रू0 474/–

समुद्रपारीय आयातित बीयर/वाईन पर शुल्क एफ0एल0–5 डी के समान देय होंगे।

8. **देशी मदिरा दुकानों में बीयर की बिकीः–**

राज्य में देशी मदिरा की दुकानो में बीयर बिकी की अनुमति दी जायेगी इस हेतु अनुज्ञापन शुल्क रू0 2.00 लाख वर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगा।

9. देशी मदिरा दुकानों में मात्र 36 प्रतिशत v/v मसालेदार शराब की आपूर्ति ही की जायेगी।

10. **मदिरा दुकानों की बिक्री की समय अवधिः–**

प्रदेश के चार जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून को छोडकर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में दुकान खोलने का समय अपरान्ह 12.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगा।

उक्त चार जनपदों में मदिरा की दुकान खोलने का समय विगत वर्ष की भांति प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा।

परन्तु प्रदेश की सीमाओं में स्थित ऐसी दुकानें, जो दूसरे राज्य/राष्ट्र की सीमा से 10 कि0मी0 के अन्दर अवस्थित हों, के खुलने का समय प्रातः 10.00 एवं बन्द होने का अधिकतम समय रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा।

11. **अग्रिम जमा प्रत्याभूति का समायोजनः–**

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयताओं के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

12. **विदेशी मदिरा फुटकर दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्थाः–**

विदेशी मदिरा फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ०एल०–5 डी० लाईसेंसी द्वारा दुकान की चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु सुविधानुसार एफ०एल०–5 ई० लाईसेंस लेना होगा। एफ०एल०–5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 5 प्रतिशत के बराबर होगी।

13. **मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में:–**

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण आपसी सहमति के आधार पर नये अनुज्ञापियों को हस्तान्तरित हो सकता है परन्तु नये अनुज्ञापियों को देय एम0जी0डी0/अन्य राजस्व जमा करना होगा जो माह में तय एम0एम0जी0डी0 में सम्मिलित होगा यदि नया अनुज्ञापी अवशेष स्टॉक को हस्तान्तरित नहीं करना चाहता है, तो अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 के अनुसार किये जायेंगे।

14. **जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें:–**

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगे;

परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड

राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं समय–समय पर शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नियम/निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–12164–12166 ऑफ 2016 "स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के0 बालू एण्ड ए0एन0आर0" मे दिनॉक 15.12.2016 एवं 31.03.2017 को पारित निर्णय के आलोक मे दुकानों की स्थिति निर्धारित की जायेगी ।

15. किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करनाः–

(1) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जिलें की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है; परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

(2) यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी निर्णय ले सकेंगे।

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया जाये कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

16. पात्रता :–

देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी परन्तु आवेदन के समय आवेदन पत्र के साथ मात्र व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रपत्र व अर्नेस्ट मनी के ड्राफ्ट/विवरण लगाना होगा, अन्य प्रपत्र देशी/विदेशी/बीयर की दुकान के आवंटन की तिथि से 20 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी अनुज्ञापी द्वारा अन्य प्रपत्र 20 दिवस के अन्दर प्रस्तुत नहीं किये जाते है, तो उक्त दुकान का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। व्यक्ति के व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगेः– 1. पासपोर्ट 2. स्थायी आयकर लेखा (PAN) संख्या 3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र 4. ड्राइंविग लाईसेंस 5. फोटो युक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका 6. आधार कार्ड ।

(एक) परन्तु यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 20 दिनों के अन्दर चरित्र प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(दो) यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 20 दिनों के अन्दर वांछित हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(1) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी/एफ0डी0 स्वीकार की जा सकेगी।

(2) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

(3) हैसियत प्रमाणपत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

(तीन) दुकान आवंटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र और स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करता है, तो इस दशा में अनुज्ञापी को आवंटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 से स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा की गई समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष में जब्त कर सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(चार) आवेदक का स्थाई रूप से जिलें का निवासी होना अनिवार्य होगा, अतः दुकान आवंटित होने के 20 दिनों के अन्दर स्थाई निवास प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(पांच) आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

चयनित आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले अधिकतम एक साझेदार को सम्मिलित करने की अनुमति लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी।

(छः) आवेदक को दुकान आवंटन के 20 दिनों के अन्दर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(सात) यदि आवेदक अनुज्ञापी के तौर पर चयनित होता है तो उसे मदिरा दुकान का अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करना होगा एवं प्रतिभूति की धनराशि जो कि एक माह के न्यूनतम गारण्टेड अभिकर के बराबर हो को सात दिवस के भीतर एवं एक माह के बराबर नकद अथवा बैंक गारण्टी की धनराशि तीस दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

17. देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दरें:–

(एक) देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा तथा विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार रहेगी:–

(क) विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ई0डी0पी0 वार निम्नवत रहेगी:–

क्र० सं०	**एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)**	**उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0**
1	रू0 40.00 तक	रू0 170
2	रू0 40.01 से रू0 55.00 तक	रू0 185
3	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	रू0 210
4	रू0 75.01 से रू0 105.00 तक	रू0 270
5	रू0 105.01 से रू0 175.00 तक	रू0 330
6	रू0 175.01 से रू0 275.00 तक	रू0 400
7	रू0 275.01 से रू0 400.00 तक	रू 490
8	रू0 400.01 से अधिक	रू0 595

(ख) अन्य मामलों में विदेशी मदिरा की उत्पाद शुल्क की दर रू0 **180** प्रति अल्कोहलिक लीटर रहेगी।

(दो) 5 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बीयर (Mild Beer) पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 **30/–** प्रति बल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बियर (Strong Beer) एवं वाईन पर रू0 **50/–** प्रति बल्क लीटर रहेगी।

18. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना:–

(एक) देशी मदिरा की 36%v/v पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी रू0 200/– प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जायेगी।

(दो) विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं :–

क्र०सं०	**एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)**	**एम0जी0डी0 (प्रति बोतल)**
1.	रू0 40.00 तक	रू0 132.00
2.	रू0 40.01 से रू0 55.00 तक	रू0 146.00
3.	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	रू0 167.00
4.	रू0 75.01 से रू0 105.00 तक	रू0 192.00
5.	रू0 105.01 से रू0 175.00 तक	रू0 225.00
6.	रू0 175.01 से रू0 275.00 तक	रू0 247.00
7.	रू0 275.01 से रू0 400.00 तक	रू0 278.00
8.	रू0 400.01 से अधिक	रू0 316.00

(तीन) अद्धा तथा पौव्वा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 25/– तथा रू0 50/– की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्धा एवं पौव्वा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर समान रखी जायेगी। 180 एम0एल0 से नीचे की धारिता की गणना पौव्वे पर आधारित होगी ।

19. **सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन शुल्क, ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें:–**

(एक) वर्ष 2017–18 के लिए एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू0 25000/– लाईसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।

(दो) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी:–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल) वार निर्धारित की जायेगी :–

क्र0 सं0	ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0
1	रू0 40.00 तक	रू0 170
2	रू0 40.01 से रू0 55.00 तक	रू0 185
3	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	रू0 210
4	रू0 75.01 से रू0 105.00 तक	रू0 270
5	रू0 105.01 से रू0 175.00 तक	रू0 320
6	रू0 175.01 से रू0 275.00 तक	रू0 400
7	रू0 275.01 से रू0 400.00 तक	रू0 490
8	रू0 400.01 से अधिक	रू0 595

(ब) रियायती रम रू0 62.00 प्रति ए0एल0।

(स) बीयर/ब्रीजर एवं वाईन एफ0एल0–9 के अन्तर्गत एफ0एल0–5डी/5बी के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(तीन) असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र0सं0	मदिरा का प्रकार	असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल)
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) ई0डी0पी0 रू0 105 तक ई0डी0पी0 रू0 105 से अधिक	 रू0 100.00 रू0 150.00
(2)	रियायती रम	रू0 60.00
(3)	बियर/वाईन/ब्रीजर	एफ0एल0–5डी के समान दर।
(4)	भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों हेतु असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल) दरें निम्नप्रकार होंगी विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) ई0डी0पी0 रू0 105 तक ई0डी0पी0 रू0 105 से अधिक रियायती रम बियर/वाईन/ब्रीजर	 रू0 65.00 रू0 115.00 रू0 35.00 एफ0एल0–5डी के दर से 10 रू0(प्रति पेटी) कम।

20. राज्य में स्थित समस्त अर्द्ध सैनिक बलों मे कार्यरत/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों को एफ0एल0–9/9ए की सुविधा अनुमन्य होगी।

21. **मदिरा का विक्रय मूल्यः–**

वित्तीय वर्ष 2016–17 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा। विदेशी मदिरा (देशी मदिरा/बीयर/वाईन को छोडकर) का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से निर्धारित किया जायेगा :–

क्र0सं0	विवरण
1	ई0डी0पी0
2	निर्यात शुल्क
3	आयात शुल्क
4	बाण्ड व्यय
5	उत्पाद शुल्क
	योग
6	वाणिज्य कर
	योग
7	सेस 2 प्रतिशत I-एक प्रतिशत सडक सुरक्षा हेतु II–एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा हेतु
8	होलोग्राम शुल्क
9	एफ0एल0–2 पर लागत मूल्य
10	टी0सी0एस0
11	एम0जी0डी0
12	लागत मूल्य
13	फुटकर विक्रेता का लाभांश (आज 25 प्रतिशत है 23 प्रतिशत तक किया जा सकता है)
14	अधिकतम बिक्री मूल्य

(एक) प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री पर विकेता द्वारा केता को अनिवार्य रूप से कम्प्यूटर जनित रसीद देना अनिवार्य होगा एवं दुकानों में स्वैप मशीन रखना भी अनिवार्य होगा।

(दो) उन कम्पनियों जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही है, वही ब्राण्डस उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे, जिनकी बिक्री दिल्ली राज्य में की जा रही हो। उनकी ई0 डी0 पी0 दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ब्राण्ड जिनकी ई0डी0पी0 दिल्ली में बिक्री किये जा रहे समतुल्य ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से कम अथवा समान होगी, की उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। आपूर्तिकर्ता ब्राण्ड की दिल्ली राजधानी क्षेत्र में ब्राण्ड की ई0डी0पी0 वर्ष के दौरान बढ़ने पर उत्तराखण्ड राज्य में भी ई0डी0पी0 बढ़ाकर फुटकर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जायेगी परन्तु ऐसा वर्ष में एक बार ही किया जा सकेगा। समतुल्य ब्राण्डस का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त किया जायेगा। समतुल्य की परिभाषा इस प्रकार परिभाषित होगी:– जो कम्पनी दिल्ली राज्य में अपने ब्राण्ड बेच रही हैं उसके उन सभी ब्राण्डों की ई0डी0पी0 का निर्धारण दिल्ली राज्य में निर्धारित की गयी ई0डी0पी के बराबर अथवा उससे कम रखने पर अनुमोदित की जायेगीं, एवम् कम्पनी के वे ब्राण्ड जो दिल्ली राज्य में नहीं बेचे जा रहे हैं, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में बेचे जा रहे है, उनकी ई0डी0पी0 का निर्धारण अन्य राज्यों से तुलना करने के पश्चात् किया जायेगा। यदि अन्य राज्य में भी प्रस्तुत ब्राण्डों की बिक्री नहीं की जा रही हैं तो कम्पनी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया

जायेगा, कि यदि ऐसे ब्राण्ड जो केवल उत्तराखण्ड में बेचे जा रहे है, यदि उनको अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य में बेचे जाने वाले प्रत्येक ब्राण्ड की तुलना दिल्ली राज्य अथवा अन्य राज्यों में बेचे जा रहे ब्राण्ड के मूल नाम से की जायेगी।

उदाहरणार्थः– यदि दिल्ली राज्य में कोई ब्राण्ड "XXX Classic whisky" के नाम से बेचा जा रहा है, तो उसका मूल नाम "XXX" माना जायेगा एवं उसी से उसकी ई0डी0पी0 की तुलना की जायेगी। ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स–कस्टम बॉण्ड मूल्य मानी जायेगी।"

उपरोक्त के होते हुये भी अद्धा तथा पौव्वा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 25/–तथा रू0 50/– अधिक नियत करने की अनुमति दी जा सकेगी। जो आपूर्तक दिल्ली राज्य में आपूर्ति नहीं कर रहे हैं वे अन्य किसी राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नही रख सकेंगे। उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(तीन) प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक की बिकी किये/पाये जाने पर व केता को कम्प्यूटर प्रिन्टिड रशीद न देने पर निम्न दण्ड आरोपित किया जायेगाः–

1. प्रथम उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माने की राशि।
2. द्वितीय उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से एक प्रतिशत अथवा रुपये 5000 (पॉच हजार) जो अधिक हो, की राशि जब्त/प्रशमित की जायेगी।
3. तृतीय उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से दो प्रतिशत अथवा रुपये 5000 (पॉच हजार) जो अधिक हो की राशि जब्त /प्रशमित की जायेगी।
4. चतुर्थ उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से तीन प्रतिशत अथवा रुपये 5000 (पॉच हजार) जो अधिक हो की राशि जब्त/प्रशमित की जायेगी।
5. पंचम उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से चार प्रतिशत अथवा रुपये 5000 (पॉच हजार) जो अधिक हो की राशि जब्त /प्रशमित की जायेगी व दुकान एक दिन हेतु निलंबित कर दी जायेगी।
6. छठे उल्लंघन पर सम्बन्धित दुकान का अनुज्ञापन स्वतः निरस्त हो जायेगा, उक्त अनुज्ञापी को काली सूची में डाला जायेगा तथा सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

22 विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के थोक (एफ०एल०–2/2बी/2एस/2डब्ल्यू) अनुज्ञापनः–

(1) वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु एफ०एल०–2/2बी/2एस/2डब्ल्यू अनुज्ञापन विदेशी मदिरा के निर्माता अथवा विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
(2) निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयाँ जो आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हीस्की, ब्राण्डी, जिन, बियर, वाईन, वोदका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती है तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बॉटलड विदेशी मदिरा को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, इन्हें ऐसे ब्राण्ड्स का निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।
(3) वर्ष 2017–18 में प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ०एल०–2 अनुज्ञापन के लिये रूपये 08 लाख, एफ०एल०–2बी अनुज्ञापन के लिए रूपये 06 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।

4) वर्ष 2017–18 में प्रदेश के एफ०एल०–2(एस)/एफ०एल०–2 (डब्ल्यू) अनुज्ञापन के लिये रूपये 02 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। प्रतिबन्ध यह है कि 12,500 पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल रूपये 01 लाख एवं 2,500 पेटी तक की बिक्री के लिए रूपये 50 हजार देय होगी।

विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञापन से सम्बन्धित कृत समस्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित निर्माता इकाई उत्तरदायी होगी।

23 **बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :–**

1.	बीयर (एक) बियर 650 एम0एल की 12 बोतल अथवा 325 एम0 एल0 की 24 पैक की पेटी	**रू0 240**
	(दो) 500 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	**रू0 370**
	(तीन) 330 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	**रू0 240**
2.	वाईन 750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी	**रू0 240**
3.	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल ब्रेवरेज के 275 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	**रू0 240**

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय असेस्मेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे। बियर/ब्रीजर एवं वाईन एफ0एल0–9 के अन्तर्गत एफ0एल0–5डी/5बी के समान अभिकर के दर पर देय होगी।

24 **राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्रीः–**

राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता या ऐसी इकाई जिसको सम्बन्धित ब्रान्ड के वैधानिक अधिकार/स्वामित्व प्राप्त है अथवा विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं, को उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0–2 के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार श्रेणीवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सों की फीस वर्ष 2017–18 में निम्नानुसार होगीः–

1	बी0डब्लू0एफ0एल0–2 बाण्ड (विदेशी मदिरा बियर एवं वाईन)	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये**
	(1) 25,000 पेटियों तक	**रू0 7.50 लाख**
	(2) 25,001 से 50,000 पेटियों तक	**रू0 12.50 लाख**
	(3) 50,001से 1,00,000 पेटियों तक	**रू0 19.00 लाख**
	(4) 1,00,001 पेटियों से 300,000 पेटियों तक	**रू0 25.00 लाख**
	(5) 3,00,001 पेटियों से 500,000 पेटियों तक	**रू0 30.00 लाख**
	(5) 5,00,001पेटियों से 10,00,000 पेटियों तक	**रू0 40.00 लाख**
	(6)10,00,001 पेटियों से अधिक	**रू0 50.00 लाख**
2	**(क)** बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी बाण्ड (केवल बियर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज़ के लिए।	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये**
	(1) 50,000 पेटियों तक	**रू0 10.00 लाख**
	(2) 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	**रू0 18.00 लाख**
	(3) 1,00,000 पेटियों से 300,000 पेटियों तक	**रू0 24.00 लाख**
	(6) 3,00,000 पेटियों से अधिक	**रू0 30.00 लाख**
	(ख)बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (आई) केवल विदेशी आयातित बीयर के लिए	
	(1) 1000 पेटियों की बिक्री तक	**रू0 30 हजार**
	(2) 1000 पेटी से अधिक	**रू0 3000/– प्रत्येक 100 पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।**

3	बी0डब्लू0एफ0एल0–2एस बाण्ड (केवल स्कॉच के लिये) (1) 100 पेटियों की बिक्री तक (2) 100 पेटी से ऊपर।	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये** **रू0 30 हजार मात्र** **रू0 15000/– प्रत्येक 50 पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।**
4	बी0डब्लू0एफ0एल–2डबलू बाण्ड (केवल वाईन के लिये)	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये** **रू0 15 हजार मात्र**
5	एफ0एल0–1(प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर उत्पादों को थोक में एफ0एल0–2 को बेचने हेतु लाईसेंस) (1) 50,000 पेटियों तक (2) 50,001 से 100,000 पेटियों तक (3) 100,001 पेटियों से अधिक पर	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिये** **रू0 1.00 लाख** **रू0 5.00 लाख** **रू0 10.00 लाख**

प्रदेश से बाहर के विदेशी मदिरा/बियर/वाईन/आर0टी0डी0 के निर्माताओं को बी0डब्लू0 एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिट्स की मदिरा/बियर आयात किये जाने पर प्रति यूनिट से मदिरा आयात किये जाने हेतु अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में बी0 डब्लू0 एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू की सामान्य लाईसेंस फीस के 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में जमा करना होगा। ऐसे निर्माता स्वयं की कई यूनिट्स की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

25 **लेबल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–**

(एक) विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 **28,000/** (रूपये अठाईस हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(दो) बियर/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के लेबलों के अनुमोदन के लिए धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 **20,000/**– (रूपये बीस हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(तीन) वाईन हेतु **25,000/**– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) इकाई द्वारा समस्त लेबलों हेतु पंजीकरण शुल्क देय होगा।

उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होगी।

26 **होटल बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण:–**

होटल बार लाईसेंस एफ०एल०–6(सम्मिश्र)बार की लाईसेंस फीस होटल के लिये निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

क्र0 स0	**एफ0एल0–6(समिश्र) अनुज्ञापन कमरों की संख्या के आधार पर वर्ष या वर्ष के भाग हेतु**	**धनराशि**
1.	20 कमरों तक	रू0 3 लाख
2.	20 कमरों से अधिक किन्तु 60 से अनधिक तक	रू0 6 लाख
3.	60 कमरों से अधिक	रू0 10 लाख
4	गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम को एफ0एल0–06 (समिश्र) बार अनुज्ञापन हेतु शुल्क	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

27 **रेस्त्रां बार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है:-**

क्र0 सं0	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग हेतु (रू0 में)
1.	रेस्टोरेन्ट बार	**रू0 3 लाख**
2.	बियर बार (1) रेगुलर बियर बार (2) सीजनल बियर बार	 रू0 **1 लाख** रू0 50 हजार
3.	गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम को एफ0एल0-07 बार अनुज्ञापन हेतु शुल्क	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
4.	क्लब बार (1)क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए) (4) राजकीय कार्मिको हेतु प्रदत्त क्लब बार अनुज्ञापन	 रू0 **1.50 लाख** **रू0 2.20 लाख** **रू0 4 लाख** **रू0 25 हजार**
5.	अकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन) होटल/वैडिंग प्वइन्ट/रेस्टोरैन्ट	रू0 5 हजार मात्र
	उक्त के अतिरिक्त	रू0 2 हजार मात्र

गैर-होटल बार लाईसेन्स धारी प्राइवेट व्यक्तियों को बैंक्वेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स में पार्टीज में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू0 2 दो हजार वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। मदिरा के उपभोग हेतु पंजीकरण के बिना कोई परमिट नहीं दिया जायेगा।

ड्राउट बियर की अनुमति बारों/सैन्य केन्टीनों में पूर्ववत दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500 एम0एल0 धारित में केन बियर की बिक्री की जा सकेगी।

28 **बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटी:-**

एफ0एल0-2 से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नानुसार होगी:-

क्र०सं०	एक्स आसवनी मूल्य	एम0जी0डी0 की दर (प्रति बोतल)
1.	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	**रू0 250.00**
2	रू0 75.01 से रू0 105.00 तक	**रू0 288.00**
3.	रू0 105.01 से रू0 175.00 तक	**रू0 338.00**
4	रू0 175.01 से रू0 275.00 तक	**रू0 370.00**
5	रू0 275.01 से रू0 400.00 तक	**रू0 417.00**
6.	रू0 400.01 से अधिक	**रू0 474.00**
7	बियर/ब्रीजर के 500 एम0एल0, 330 एम0एल0, 325 एम0एल0 एवं 275 एम0एल0के पैक, ओवरसीज लिकर के 50 एम0एल0 व 90 एम0एल0 के पैक	**रू0 10/- प्रति पैक**

(अ) बारों में उठान के सापेक्ष एम0जी0डी0 निम्नानुसार ली जायेगी:–

1	3,000 बोतल तक	एम0जी0डी0 उपरोक्तानुसार ली जायेगी।
2	3,001 से 5,000 बोतल तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 10 प्रतिशत वृद्धि कर के निकासी दी जायेगी।
3	5,001 से 10,000 बोतलों तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 20 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।
4	10,000 से अधिक बोतलों पर	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 30 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।

(ब) होटल बारों को कमरों मे मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा दस हजार रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) अनुज्ञापन शुल्क लिया जायेगा।

29 **होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अर्हता:–**

(1) ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 8 लाख अथवा उससे अधिक हो। बियर एवं वाईन बार हेतु होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5 लाख अथवा उससे अधिक हो।

आगामी वर्ष मे किसी भी होटल/रेस्त्रांबार जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष मे पके हुये भोजन की बिक्री रू0 10 लाख एवं बियर एवं वाईन बार मे रू0 6.25 लाख से कम रही हो, का लाईसेंस नवीनीकरण नही किया जायेगा।

(2) एफ0एल0–6(समिश्र)/7ए/7बी/7सी के बार आवेदन हेतु आवेदक को रू0 50 हजार बैंक ड्राफ्ट के रुप मे आवेदन शुल्क जो आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत हो जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर रू0 50 हजार का बैंक ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रुप में समायोजित कर लिया जायेगा, जो लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगा।

30 प्रदेश में स्थित चार धाम (गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ) के यात्रा मार्गो एवं अधिसूचित स्थलों में कोई बार का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेगे।

31 **सीजनल बार/बीयर एवं वाईन बार लाईसेंस:–**

सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे, सीजनल बार के लिये जिलें स्तर पर निम्नवत अनुज्ञापन समिति गठित की जायेगी:–

जिलाधिकारी–	अध्यक्ष।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक –	सदस्य।
जिला पर्यटन अधिकारी–	सदस्य।
जिला आबकारी अधिकारी–	सदस्य/सचिव।

उक्त अनुज्ञापन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श कर एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञापन की संस्तुति के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे। उक्त बारों को मदिरा की आपूर्ति निकटतम एफ0एल0–5डी द्वारा की जायेगी, जिसका निर्धारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा मदिरा परिवहन पास अनुज्ञापी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जायेगा एवं सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। उक्त बारों का अनुज्ञापन शुल्क दो लाख रु प्रति छः माह हेतु निर्धारित होगा एवं सीजनल बीयर एवं वाईन बार

हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात रू0 50 हजार होगी। बियर बार में वाईन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।

32 **आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापनाः—**

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगीः—

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था वह आसवनी स्वंय करेगी। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईक्रो पब ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के आधीन जारी किये जायेंगे।

(ग) आसवनियों, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु शुल्क का निर्धारण निम्नवत रहेगा—

पी0डी0—33 अनुज्ञापन हेतु रु0 दो लाख, बी—20 अनुज्ञापन हेतु रु0 एक लाख एवं वी—1 अनुज्ञापन हेतु रू0 50 हजार शुल्क निर्धारित होगा परन्तु उपरोक्त अनुज्ञापनों की समयावधि बढाये जाने पर प्रतिवर्ष अनुज्ञापन शुल्क दोगुना हो जायेगा।

33. **बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0— 3ए एवं एफ0 एल0एम0—3 हेतु बॉटलिंग फीसः—**

व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन एवं कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज की भराई हेतु एफ0एल0—3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0—3 के समान लाईसेंस फीस देय होगी।

34 **ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती हैः—**

(एक) अधिष्ठापित क्षमता 5,000 किलो लीटर तक रू0 **20** हजार

(दो) अधिष्ठापित क्षमता 5,001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 **25** हजार

(तीन) अधिष्ठापित क्षमता 10,000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 **5** प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

35 **एफ0एल0एम0—3 की लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नानुसार होगीः—**

क्र0 सं0	विनिर्माणशाला की भराई क्षमता	लाईसेंस शुल्क (प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए)
1.	पांच लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रू0 7.50 लाख मात्र
2.	पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रू0 15 लाख मात्र
3.	दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750 एम0एल0) तक	रू0 25 लाख मात्र
4.	पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750 एम0एल0)तक।	रू0 45 लाख मात्र
5.	पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रू0 70 लाख मात्र
6.	पचास लाख से अधिक परन्तु पच्हत्तर लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रू0 95 लाख मात्र
7.	पचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल (750 एम0एल0) तक।	रू0 1 करोड 20 लाख मात्र
8.	एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रू0 1 करोड 40 लाख मात्र
9.	एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक बोतल (750 एम0एल0) ।	रू0 1 करोड 90 लाख मात्र

36 **विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु बाटलिंग फीसः—**

एफ0एल0—3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1 लाख के अधीन बॉटलिंग फीस राज्य मे बिक्री हेतु रू० 10/— प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 6/—प्रति ए0एल0 दरों पर विदेशी मदिरा की भराई पर देय होगी।

37 **एफ0एल0—3ए व एफ0एल0एम0—3 अनुज्ञापन के अर्न्तगत देय बाटलिंग फीसः—**

एफ0एल0—3ए के अन्तर्गत बाटलिंग व एफ0एल0एम0—3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0—3बी में बाटलिंग अनुज्ञापन में वर्ष के लिए न्यूनतम रू 01 लाख के अधीन राज्य में बिक्री हेतु रू० 15/—प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 6/—प्रति ए0एल0 दरों पर विदेशी मदिरा की भराई पर देय होगी।

38 **एफ0एल0—3 एवं एफ0 एल0—3ए अनुज्ञापन के अर्न्तगत बीयर/ब्रीजर पर देय बाटलिंग फीसः—**

एफ0एल0—3 एवं एफ0एल0—3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,25,000/—(रू० एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगीः—

क्र० सं०	एफ0एल0—3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0—3 ए हेतु बाटलिंग फीस
1	रू0 1.15 प्रति ब0ली0	रू0 1.15 प्रति ब0ली0

39 **बीयर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगीः—**

क्र0 सं0	एफ0एल0—3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0—3 ए हेतु बाटलिंग फीस
1	रू0 1.07 प्रति ब0ली0	रू0 1.07 प्रति ब0ली0

40 **ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगीः—**

क्र0सं0	बाटलिंग फीस
01	रू0 1.26 प्रति ब0ली0

41 **राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञापन की व्यवस्थाः—**

देशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा देशी मदिरा की सुलभ आपूर्ति हेतु देशी मदिरा के निर्माताओं को आवश्यकतानुसार आपूर्ति के क्षेत्र के आवंटन का निर्णय सचिव आबकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति की संस्तुति पर उच्चानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

42 **राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री हेतु शुल्क का निर्धारणः—**

राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु न्यूनतम रू0 5 लाख के अधीन रहते हुए 1 रूपये 70 पैसा प्रति बल्क लीटर लाईसेंस फीस देय होगी। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस् का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क रू0 2 लाख 15 हजार मात्र निर्धारित किया जाता है। आसवनियों के पी0डी0—2 लाईसेंस की लाईसेंस फीस रू0 140/— प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाती है।

43 प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों को छोडकर शेष स्थानों पर देशी व विदेशी मदिरा की मिश्रित दुकानें आवश्यकता पडने पर आबकारी आयुक्त के अनुमोदन पश्चात खोली जा सकती हैं। देशी व विदेशी मदिरा की मिश्रित दुकानों के प्रकिया व आवेदन शुल्क विदेशी मदिरा दुकानों के समान रहेंगे।

44 विभाग की समस्त कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु ऑनलाईन सूचना प्रोद्यौगिकी की कार्यावाही की जायेगी।

45 अन्य व्यवस्थायें वित्तीय वर्ष 2016—17 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(सी0एस0नपलच्याल)
सचिव

संख्या 260(i)/XXIII/2017/04(01)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जिला–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां, प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव